

1228 Sale 23082001-

PS Deoghar

1059



झारखण्ड JHARKHAND

Area 3.37 Decimal

03AA 794027

निबंधन अधिनियम 1908 के अर्धीन
 और छोटानागपुर अधिनियम 1906 के अर्धीन
 धारा 21 के अर्धीन प्रमाण भी प्राप्त है और
 इतिहास स्वामी एच.ए. की अर्धीन प्रमाण के
 खण्ड 23 के अर्धीन प्रमाण भी प्राप्त है
 (न. स्वामी शुल्क के विमुक्त या स्वामी शुल्क ज. प्र. प्र. नही)

Fee paid
 AUJ - 00
 LL - 3
 PR - 1

Stamp
 5/-

विक्रय
 28/11/19

विक्रय पत्र

बिक्रेता :- श्रीमती मंजु देवी पिता विश्वनाथ सिंह, दादा स्वर्गीय रघुनन्दन सिंह, पति श्री तुलानन्द सिंह, जाति राजपुत, पेशा गृहस्वामीनी, साकिन मकान न0 45, वार्ड न0 25, नया 17 दुर्गा मंदिर के नजदीक, सलौनाटांड देवघर, थाना देवघर, सबडिविजन, सबरजिष्ट्री व जिला देवघर, राज्य झारखण्ड, राष्ट्रीयता-भारतीय।

क्रेता :- श्रीमती रेखा कुमारी पिता स्वर्गीय भुनेश्वर साह, दादा स्वर्गीय भैरो साह, पति श्री अभिमन्यु मंडल, जाति तेली, पेशा व्यवसाय, साकिन भोराबाजार, पत्रालय भोराबाजार, थाना चान्दन, सबडिविजन, सबरजिष्ट्री व जिला बांका, राज्य बिहार, राष्ट्रीयता-भारतीय।

लेख्य प्रकार :- विक्रय पत्र।

158

बिक्रीत सम्पत्ति की कीमत :-कुल 21,02,100/-इक्कीस लाख दो हजार एक सौ रूपये मात्र।

बिक्रीत सम्पत्ति का विवरण :-निम्न अनुसूची सम्पत्ति में वर्णित है।

विदित हो कि जिला संधाल परगना, वर्तमान जिला देवघर, सबडिविजन, सबरजिष्ट्री व थाना देवघर, सामील मौजा नीलकंठपुर उर्फ नुरपुर न0 415 के अन्दर बसौड़ी सत्व की जमीन, टाउन प्लान प्लॉट न0 163 का अंश, 188 का अंश व 189 रकवा स्थानीय माप से कमबेसी 3 (तीन) एकड़, 79 (उनासी) डिसमिल को श्रीमती शैलवाला देवी पति श्री नारायण प्रसाद झा, साकिन चक्रवर्ती लेन देवघर, थाना देवघर, जिला संधाल परगना, वर्तमान जिला देवघर की निवासीनी ने दिनांक 16/11/1959 ईस्वी में निबंधन कार्यालय देवघर से निबंधित एक किता बिक्रय पत्र पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 8, पृष्ठ संख्या 159 से 162 में निबंधित जिसकी संख्या 2269 वर्ष 1959 ईस्वी के द्वारा, शाह अब्दुल कादीर अतिमी पेशर दाता सफा शाह, साकिन नीलकंठपुर उर्फ नुरपुर बिलासी टाउन देवघर, थाना देवघर, जिला संधाल परगना, वर्तमान जिला देवघर के निवासी से खरीद किया व उसपर दखल कब्जा लेकर निर्विवाद रूप से दखलकारीणी रहती हुई उक्त टाउन प्लान प्लॉट न0 188 का अंश रकवा 2.66 एकड़ (दो एकड़ छियासठ डिसमिल) व टाउन प्लान प्लॉट न0 189 का अंश रकवा 0.20 एकड़ (बीस डिसमिल) मोट रकवा 2.86 एकड़ (दो एकड़ छियासी डिसमिल) को दिनांक 15/06/1968 ईस्वी में निष्पादित एवं 21/06/1968 ईस्वी में निबंधन कार्यालय देवघर से निबंधित एक किता बिक्रय पत्र पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 19, पृष्ठ संख्या 22 से 24 में निबंधित जिसकी संख्या 2869 वर्ष 1968 ईस्वी के द्वारा, श्री काशीनाथ झा पिता स्वर्गीय अभय झा, साकिन ब्रैद्यनाथ लेन देवघर, थाना देवघर, जिला संधाल परगना, वर्तमान जिला देवघर के निवासी के पास बिक्री कर दिया।

उपर्युक्त काशीनाथ झा उक्त खरीदगी सम्पत्ति पर दखल कब्जा लेकर तथा अंचल कार्यालय देवघर में नामान्तरण वाद संख्या 255/1972-73 के द्वारा दिनांक 02/03/1973 ईस्वी के आदेशानुसार अपना नाम दर्ज करवाकर जमाबंदी न0 184/1 के बावत सालाना खजाना आदाय करते हुए व उसपर ताजिन्दगी निर्विवाद रूप से भोगवान व दखलकार रहते हुए अपने पीछे विधवा पत्नी ताराधन देवी, एवं दो पुत्रगण गिरिधारी झा व मुरारी झा को अपना कानूनी उत्तराधिकारी छोड़कर स्वर्गवास कर गये।

मंजु देवी

उपर्युक्त ताराधन देवी, गिरिधारी झा व मुरारी झा वारिस सुत्र से उक्त सम्पत्ति के मालिक व दखलकार होकर जमाबंदी न० 184/1 के बावत सालाना खजाना आदाय करते हुए, वजरिये आम मोख्तार मुरारी झा (दिनांक 29/03/2005 ईस्वी में निबंधन कार्यालय देवघर से निबंधित मोख्तार नामा दलील पुस्तक संख्या 4, जिसकी संख्या 80 वर्ष 2005 के द्वारा सक्षम हुए) ने उक्त टाउन प्लान प्लॉट न० 188 का अंश सब प्लॉट न० "15" का अंश, 16 एवं 17 रकवा 4989 वर्गफीट, अन्दर जमाबंदी न० 184/1, अन्दर हलका देवघर नगरपालिका वार्ड न० 8, दिनांक 06/10/2005 ईस्वी में निबंधन कार्यालय देवघर से निबंधित बिक्रय पत्र पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 75 वास्ते 2005, पृष्ठ संख्या 145 से 156 में निबंधित जिसकी संख्या 2927 वर्ष 2005 ईस्वी के द्वारा, बमोजीव उक्त दस्तावेज के संलग्न नक्शा में लाल रंग से रंगा अंश मय कुल हक हकूक, कुन्दन कुमार सिंह के पास बिक्री कर दिया।

उपर्युक्त कुन्दन कुमार सिंह उक्त खरीदगी सम्पत्ति पर दखल कब्जा लेकर तथा अंचल कार्यालय देवघर में नामान्तरण वाद संख्या 1630/2005-2006 के द्वारा, दिनांक 09/03/2006 ईस्वी के आदेशानुसार अपना नाम दर्ज करवाकर उसके बावत सालाना खजाना आदाय करते हुए वहैसियत पुर्ण मालिक निर्विवाद रूप से भोगवान व दखलकार रहते हुए दिनांक 24/04/2018 ईस्वी में निबंधन कार्यालय देवघर से निबंधित बिक्रय पत्र पुस्तक संख्या 01, जिल्द संख्या 92, पृष्ठ संख्या 523 से 616 में निबंधित जिसकी संख्या 401 वर्ष 2018 ईस्वी के द्वारा, उक्त खरीदगी सम्पत्ति टाउन प्लान प्लॉट न० 188 का अंश के अन्दर रकवा 1470 वर्गफीट, अन्दर जमाबंदी न० 184/1, अन्दर हलका देवघर नगरपालिका वार्ड न० 8, देवघर नगर निगम वार्ड न० 22, बमोजीव उक्त दस्तोवज के संलग्न नक्शा में लाल रंग से रंगा हुआ सब प्लॉट न० "17" का अंश, मय कुल हक हकूक, उपर्युक्त मुझ बिक्रेता श्रीमती मंजु देवी के पास बिक्री कर देने पर उपर्युक्त मैं बिक्रेता श्रीमती मंजु देवी उक्त खरीदगी सम्पत्ति रकवा 1470 वर्गफीट पर दखल कब्जा लेकर तथा अंचल कार्यालय देवघर में नामान्तरण वाद संख्या 347/आर.27 2019-2020 के द्वारा दिनांक 13/10/2019 ईस्वी के आदेशानुसार राजस्व विभाग के पंजी ॥ में अपना नाम दर्ज करवाकर वहैसियत पुर्ण मालकिन आजतक निर्विवाद रूप से भोगवती व दखलकारीणी हूँ।

मंजू देवी

अंचल कार्यालय देवघर का ज्ञापांक 1581/रा0, देवघर दिनांक 12/10/2019 के द्वारा भूमि हस्तान्तरणीय सत्यापित है।

अभी मुझ बिक्रेता को अपने आवश्यक जरूरी सांसारिक खर्च के लिये रुपये की सख्त जरूरत है इसलिये उक्त खरीदगी सम्पत्ति 1470 वर्गफीट, जिसका पूर्ण विवरण निम्न अनुसूची सम्पत्ति में वर्णित है को बिक्री करने का ऐलान किया।

आप क्रेता इसे अभी के बाजार भाव से अधिकतम कीमत पर खरीद करने की इच्छा जाहिर करने पर उभय पक्ष की मंजूरी से इसकी कीमत कुल 21,02,100/- इक्कीस लाख दो हजार एक सौ रुपये कायम हुए।

अतएव आज तारीख में बिक्रेता, आप क्रेता से कीमत के कुल 21,02,100/- इक्कीस लाख दो हजार एक सौ रुपये निम्न वर्णित रकम प्राप्त रसीद (Memo of Consideration) अनुसार लेकर निम्न अनुसूची सम्पत्ति में वर्णित सम्पत्ति जो संलग्न नक्शा में लाल रंग से रंगा अंश में दिखाया गया है, मय कुल हक हकूक, आप क्रेता के पास बिक्री कर दिया और आपके दखल कब्जे में दिया।

अब आप क्रेता, मुझ बिक्रेता के सत्व व दखल से सत्ववती व दखलकारीणी होकर मय अपने उत्तराधिकारी मय वारिसान व स्थलाभिषिक्तगण क्रम से भोग, दखल, दान, बिक्री, मौरगेज व नाना प्रकार के वारदेन व हस्तान्तरण आदि करने की अधिकारीणी होकर स्वेच्छा पूर्वक भोग दखल करती रहें, इसमें मुझ बिक्रेता मय वारिसान को किसी भी तरह की उज्र आपत्ति नहीं होगी न कोई कर सकेगा। अगर कोई करे तो वह न्यायालय से निरस्त होगा।

निम्न बिक्रीत सम्पत्ति की मैं बिक्रेता ही एकमात्र मालकिन हूँ, इसमें दूसरा कोई अंशदार या दखलकार नहीं है व इसके पहले निम्न सम्पत्ति को किसी के पास किसी तरह का दाय-संयुक्त या हस्तान्तरण आदि नहीं किया हूँ, हर तरह से साफ व पाक है।

मंजू देवी

अंचल कार्यालय देवघर का ज्ञापांक 1581/रा0, देवघर दिनांक 12/10/2019 के द्वारा भूमि हस्तान्तरणीय सत्यापित है।

अभी मुझ बिक्रेता को अपने आवश्यक जरूरी सांसारिक खर्च के लिये रुपये की सख्त जरूरत है इसलिये उक्त खरीदगी सम्पत्ति 1470 वर्गफीट, जिसका पूर्ण विवरण निम्न अनुसूची सम्पत्ति में वर्णित है को बिक्री करने का ऐलान किया।

आप क्रेता इसे अभी के बाजार भाव से अधिकतम कीमत पर खरीद करने की इच्छा जाहिर करने पर उभय पक्ष की मंजूरी से इसकी कीमत कुल 21,02,100/- इक्कीस लाख दो हजार एक सौ रुपये कायम हुए।

अतएव आज तारीख में बिक्रेता, आप क्रेता से कीमत के कुल 21,02,100/- इक्कीस लाख दो हजार एक सौ रुपये निम्न वर्णित रकम प्राप्ति रसीद (Memo of Consideration) अनुसार लेकर निम्न अनुसूची सम्पत्ति में वर्णित सम्पत्ति जो संलग्न नक्शा में लाल रंग से रंगा अंश में दिखाया गया है, मय कुल हक हकूक, आप क्रेता के पास बिक्री कर दिया और आपके दखल कब्जे में दिया।

अब आप क्रेता, मुझ बिक्रेता के सत्व व दखल से सत्ववती व दखलकारीणी होकर मय अपने उत्तराधिकारी मय वारिसान व स्थलाभिषिक्तगण क्रम से भोग, दखल, दान, बिक्री, मौरगेज व नाना प्रकार के वारदेन व हस्तान्तरण आदि करने की अधिकारीणी होकर स्वेच्छा पूर्वक भोग दखल करती रहें, इसमें मुझ बिक्रेता मय वारिसान को किसी भी तरह की उज्र आपत्ति नहीं होगी न कोई कर सकेगा। अगर कोई करे तो वह न्यायालय से निरस्त होगा।

निम्न बिक्रीत सम्पत्ति की मैं बिक्रेता ही एकमात्र मालकिन हूँ, इसमें दूसरा कोई अंशदार या दखलकार नहीं है व इसके पहले निम्न सम्पत्ति को किसी के पास किसी तरह का दाय-संयुक्त या हस्तान्तरण आदि नहीं किया हूँ, हर तरह से साफ व पाक है।

५
५

निम्न बिक्रीत सम्पत्ति के सम्बन्ध में अगर भविष्य में, मुझ बिक्रेता मय वारिसान को कुछ लिखना या करना पड़ेगा तो ऐसी स्थिति में आप क्रेता मय वारिसान के अनुरोध व खर्च से वैसा लिखने व करने को तैयार रहूँगी।

अतएव आज तारीख में बिक्रेता स्वेच्छा से मन व शरीर की स्वस्थता में रहकर बिना किसी के दवाब या बहकावे कीमत के कुल रूपये निम्न वर्णित रकम प्राप्ति रसीद (Memo of Consideration) अनुसार लेकर यह बिक्रय पत्र लिख दिया जो प्रमाण रहे, दिनांक 07. 11. 2019

अनुसूची सम्पत्ति

थाना नं० 415, जिला देवघर, सबडिविजन, सबरजिष्ट्री व थाना देवघर, सामील मौजा नीलकंठपुर उर्फ नुरपुर के अन्दर असर्वेक्षित बसौड़ी सत्व की हस्तान्तरणीय जमीन, टाउन प्लान प्लॉट न० 188 का अंश, रकवा 1470 वर्गफीट (एक हजार चार सौ सत्तर वर्गफीट) यानि 3.37 डिसिमिल परती जमीन, अन्दर जमाबंदी न० 184/1, अन्दर हलका देवघर नगरपालिका वार्ड न० 8, देवघर नगर निगम वार्ड न० 22, होल्डिंग संख्या 0220000852000M0 जो संलग्न नक्शा में लाल रंग से रंगा हुआ सब प्लॉट न० "17" का अंश में दिखाया गया है मय कुल हक हकूक बिक्री किया, जिसकी चौहद्दी :-

उत्तर :-श्रीमती मृदुला सिंह की जमीन जो बिक्री हो चुकी है।
इधर की माप 24'-06" फीट।

दक्षिण :-15'-00" फीट चौड़ा प्रस्तावित रास्ता।
इधर की माप 24'-06" फीट।


पुरब :-सब प्लॉट न० 16 व 17 का अंश श्रीमती निकिता कुमारी पति विकास कुमार पाण्डेय की जमीन व मकान।
इधर की माप 60'-00" फीट।

पश्चिम :-सब प्लॉट न० "18"
इधर की माप 60'-00" फीट।

सांख्यिक

घोषणा :- उक्त बिक्रीत सम्पत्ति अन्य सड़क में है जो आवासीय है, उक्त बिक्रीत सम्पत्ति सरकारी भूमि (केशरे हिन्द भूमि/गैरमजरूआ आम भूमि/गैरमजरूआ खास भूमि/बन भूमि/जंगल आदि/विभिन्न विभागों के अर्जित/हस्तान्तरित तथा अन्य श्रेणी की सरकारी भूमि आदि) के अर्न्तगत नहीं है। उक्त बिक्रीत सम्पत्ति गोचर, भूहदबन्दी, आदिवासी खाते की नहीं है व कब्रिस्तान, दरगाह या अन्य धार्मिक स्थल की नहीं है तथा चारागाह के अर्न्तगत भी नहीं है, उक्त बिक्रीत सम्पत्ति सी. बी. आई जॉच के दायरे से बाहर है तथा निबंधन के लिये किसी तरह का रोक नहीं है। यदि उक्त कथन में कोई विसंगति पायी जाती है तो विधि संगत कानूनी कार्रवाही की भागी होउंगी।

गवाहान



तुला गणेश सिंह

Akash Singh
Citara

Tulanand Singh, 7991129947
S/o Late Budhan Singh.
At - Salona Tard.
Near Durga Mandir
Deogarh.

तुला गणेश सिंह
पिता - स्व कोहन सिंह
Mo - Salona Tard (सलना टार्ड)
दुर्गा मंदिर के नजदीक, पोस्ट + जिला - देवपुर

Vivek Pandey S/o Sri H.M. Pandey
Neeta Jee Sain

Braudeo Dhour

Deogarh - 814112

Thakur - 9934382522

मंजू देवी

बिक्रेता का छायाचित्र, हस्ताक्षर एवं टीप निशान-



मंजू

Mob No-

7991129947



मंजू देवी

क्रेता का छायाचित्र, हस्ताक्षर एवं टीप निशान-



REK

Mob No- 9931416262



Rekha Kumari

दस्तावेज पढ़कर फरीकैन को सुना व समझा दिया प्रारूप कर्ता सीताराम पंडित
डीड रायटर देवघर, दिनांक 07.11.2019
प्रमाणित किया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति जिनका छायाचित्र दस्तावेज में लगा है,
के बाँये हाथ के अंगुलियों के निशान मेरे द्वारा लिये गये हैं सीताराम पंडित
डीडरायटर देवघर, दिनांक 07.11.2019

licence N. 37(3)/1982